संख्या-764/2026/1929/26-27-सिं0-4-सीएन-2096946

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 14 अक्टूबर, 2026

विषयः दिनांक 15.10.2026 की मध्य रात्रि से दिनांक 20.11.2026 की मध्य रात्रि तक पूर्वी यमुना नहर की वार्षिक नहर बन्दी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक-259/सिनिक-19/अनिम-5/अनु0 एवं मूल्यां0/नहर बंदी, दिनांक 21.09.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.10.2026 की मध्य रात्रि से दिनांक 20.11.2026 की मध्य रात्रि तक पूर्वी यमुना नहर की वार्षिक नहर बन्दी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला, नई दिल्ली द्वारा प्राथमिकता पर पूर्वी यमुना नहर से संबंधित पुनर्स्थापना, मरम्मत एवं अनुरक्षण के कार्य नहर बन्दी की अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. विभाग द्वारा उक्त नहर बन्दी के दौरान बजट उपलब्धता के अन्तर्गत कार्य कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि देनदारियों की स्थिति उत्पन्न न हो।

4. नहर बन्दी के दौरान कराये गये कार्यों की ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी भी करायी जाये।

5. नहर बन्दी के विषय में सभी उपलब्ध संचार/समाचार माध्यमों से स्थानीय कृषकों की जानकारी हेतु समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुये इस विषय में क्षेत्रीय मा0 संसद सदस्य, मा0 सदस्य विधान सभा एवं अन्य मा0 जन प्रतिनिधिगण को व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जाये।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।

5. मण्डलायुक्त, मेरठ/सहारनपुर, उ0प्र0।
6. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
7. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियंता(अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. मुख्य अभियंता स्तर-1(पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ।
10. मुख्य अभियंता(यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, ओखला, नई दिल्ली।
11. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रचार-प्रसार हेतु।
12. जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।
13. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, सहारनपुर, उ0प्र0।
14. अधीक्षण अभियंता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद, उ0प्र0।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।